सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 102 राँची, गुरुवार, 7 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

5 जनवरी, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-177/2017-443 (HRMS)-- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-353/भ्र०नि०, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा सूचित किया गया कि भ्र०नि० हजारीबाग थाना कांड सं०-48/17, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला- गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित को 5,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-14 नवम्बर, 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0-11676, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 14 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री तिवारी द्वारा दिनांक 22 फ़रवरी, 2018 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं०-2248, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 द्वारा श्री तिवारी का योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन मुक्त किया गया तथा योगदान की तिथि 22 फ़रवरी, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

4. श्री तिवारी के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-48/17, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-06/जे०, दिनांक 06 फ़रवरी, 2018 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-493/स्था०, दिनांक 05 मई, 2018 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया। उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3882, दिनांक 04 जून, 2018 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री तिवारी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

6. श्री तिवारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5176, दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गई । उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक- 1168/स्था०, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया ।

7. विभागीय पत्रांक-7729, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से विभागीय परिपत्र सं०-8000, दिनांक 02 सितम्बर, 2015 के आलोक में श्री तिवारी के विरूद्ध संशोधित प्रपत्र-'क' की माँग की गई, जिसके आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1380/स्था०, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में श्री तिवारी के विरूद्ध संशोधित प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर भेजा जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

8. श्री तिवारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री तिवारी को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(ख) निगरानी थाना कांड सं०-48/17, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में न्याय निर्णय आने तक इस मामले में अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखी जाती है।

(ग) निलंबन अवधि का विनियमन निगरानी थाना सं०-48/17, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में पारित न्यायादेश के आलोक में किया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	MANOJ KUMAR TIWARI (JHK/JAS/235)	श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला- गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन मुक्त किया जाता है।	05/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102 -- 50